राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना   पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
261 / 2023	20.06.2023	09.03.2024

उनवान

1. बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला रावड़ तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–वहरोड।

वादी

वनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–वहरोड़ (राज0)।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश कुमार यादव अधिवक्ता – वादी ।

–::निर्णय::–   दिनांक :– 09.03.2024

आज यह पत्रावली वादी एवं वकील वादी द्वारा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत मे लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने के बावत की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णित किये जाने का निवेदन किये जाने पर राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे पेश हुई। वादी एवं वकील वादी तथा पैरोकार सरकार लोक अदालत मे उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि मिन वादी ग्राम कोलीला रावड तह0 नीमराना का रहने वाला हूँ तथा वाके ग्राम कोलीला रावड के ख.नं. हाल 344 / 0.20, 345 / 0.22 हैक्टेयर का मिन वादी सहखातेदार हूँ। नकल जमाबंदी संलग्न है। मिन वादी को धम्मूसिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपूत निवासी कोलीला रावड तह0 नीमराना ने गोद लिया जाकर विधिवत रूप से गोदनामा दिनांक 18.09.1972 को तस्दीक व पंजीवद्व करवाया जिससे वादी मृतक धम्मूसिंह का दत्तक पुत्र होकर धम्मूसिंह की चल–अचल संपत्ति पर काविज चला आ रहा है लेकिन कृषि भूमि मे वादी के दत्तक पिता धम्मूसिंह के स्थान पर प्राकृतिक पिता मोतीसिंह का नाम दर्ज होने पर वादी ने अपने दत्तक पिता का नाम अंकित कराने के लिए एक मुकदमा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) वहरोड के समक्ष मुकदमा नं0 368 / 07 वअनुवान विरजूसिंह बनाम राजस्थान सरकार के नाम से पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 13.06.2013 को किया गया एवं निर्णय विरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह को दुरूस्त किया जाकर प्राकृतिक पिता के स्थान पर दत्तक पिता का नाम यानि विरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह अंकित करने का निर्णय पारित किया गया जिसकी नकल संलग्न है। मिन वादी अव आराजी मुतनाजा पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेने के लिए पटवारी हल्का से फाईल वनवाने के लिए गया तो पटवारी ने रिकॉर्ड देख कर वताया की आराजी मुतनाजा मे वादी के पिता का नाम मोतीसिंह अंकित है जिसकों मुताविक दस्तावेजात एवं गोदनामा दिनांक 18.09.1972 के एवं निर्णय दिनांक 13.06.2013 मुकदमा नम्बर 368 / 07 अनुवान विरजूसिहं वनाम सरकार न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वहरोड के अनुसार वादी के पिता का नाम दत्तक पुत्र धम्मूसिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाने पर दुरूस्त किया जा चुका है परन्तु उक्त अनुवानी मुकदमे मे उक्त विवादित ख.नं. अंकित नही हुए जिससे प्राकृतिक पिता का नाम ही चला आ रहा है आदि आदि अंकित करते हुए निवेदन रहा कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री ईस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि उक्त विवादित आराजीयात मे वादी के अंकित नाम बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर विरजूसिंह पुत्र धम्मूसिंह अंकित किया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की वाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने जवाव दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। मुताविक प्रस्तुत जवाब दावे के बिन्दू संख्या 1 लगायत 6 वादी स्वयं सिद्ध करे एवं विन्दू संख्या 7, 8 व 10 लगायत 13 कानूनी विन्दू होकर श्रीमान न्यायालय के श्रवण योग्य है अंकित करते हुए बिन्दू सं0 9 व 14 वादी स्वयं सिद्व करे अंकित कर विन्दू संख्या 15 के अनुसार बिन्दू संख्या 15 स्वीकार है वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरपंच कोलील द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पंजीकृत गोदनामा दिनांक

18.09.1972 व वादी की अन्य आराजी के संबंध मे सहायक कलक्टर बहरोड के वाद 368/2007 मे जारी निर्णय दिनांक 13.06.2013 की पालना मे बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह के बजाय बिरजूसिंह पुत्र धम्मूसिंह दर्ज रिकॉर्ड किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे हाल ख.नं. 344, 345 ग्राम कोलीला राबड मे बिरजूसिंह पुत्र मोती के बजाय बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2075–78, ग्राम पंचायत कोलीला जोगा द्वारा जारी दिनांक 23.09.2023 का प्रमाण पत्र एवं छायाप्रति पर्चा डिक्री दिनांक 13.06.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) बहरोड़, छायाप्रति गोदनामा दिनांक 18.09.1972, छायाप्रति आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातएवं पहचान के दस्तावेजात की पृथक–पृथक छायाप्रतियों के बाबत व गोदनामा दिनांक 18.09.1972, न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) बहरोड की पर्चा डिक्री दिनांक 13.06.2013 जिसके मुताबिक अन्य खसरा नम्बरान हाल 233, 231, 258, 119, 120, 371 वाके ग्राम कोलीला राबड के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड से वादी के प्राकृतिक पिता का नाम मोतीसिंह को कलमजन किया जाकर वादी का नाम बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे के आदेश रहे है ठीक इसी प्रकार वादी द्वार प्रस्तुत ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्रानुसार बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह जाति राजपूत निवासी कोलाला राबड तहसील नीमराना का रहने वाला है राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह गलत दर्ज है जबकि इनका सही नाम बिरजूसिंह पुत्र धम्मूसिंह सही है दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है का अभिकथन करते हुए निवेदन किया कि वादी के उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे गलत नाम बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह दर्ज किया हुआ है तथा वादी का सही नाम बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह है जो पहचान के समस्त दस्तावेजात मे भी बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह के नाम का अंकन होना एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब पैरोकार मे भी उक्तानुसार ही अंकित करते हुए वादी का नाम बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह की बजाय बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह नाम दुरूस्त किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है के आधार पर भी वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित है अभिकथन करते हुए वाद वादी डिक्री किया जाकर बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता के अवलोकन उपरांत वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादी के वाद को लोक अदालत की भावना से कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे प्रस्तुत होने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी के आराजी ख.नं. हाल 344, 345 हैक्टेयर वाके ग्राम कोलीला राबड तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के अंकित नाम बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह नाम का अंकन किये जाने को आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमेआम कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे सुनाया गया।

9/3/2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
261 / 2023	20.06.2023	09.03.2024

उनवान

1. बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला राबड़ तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राजात

–:पर्चा डिक्री:–

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार यादव एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 09.03.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि:–

वादी के वाद को लोक अदालत की भावना से कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे प्रस्तुत होने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादी के आराजी ख.नं. हाल हाल 344, 345 हैक्टेयर वाके ग्राम कोलीला राबड तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के अंकित नाम बिरजूसिंह पुत्र मोतीसिंह को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर बिरजूसिंह दत्तक पुत्र धम्मूसिंह नाम का अंकन किये जाने को आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

9/3/2024

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)